संख्या-डब्ल्यू-11042/34/2013-एनबीए
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

पर्यावरण भवन, 9वाँ तल, सीजीओ कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 19 सितंबर, 2014

विषय: सूचना प्रसारण और प्रक्रिया, आउटपुट और आउटकम शेयर करने के लिए सोशल मीडिया विशेष रूप से फेसबुक का प्रयोग करने हेतू अनुरोध।

महोदय/महोदया,

भारत में इंटरनेट के बड़े विस्तार को देखते हुए (दा हिंदू में रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ट्राई के मुताबिक 164.81 मिलियन) जिसने विश्व में चीन (प्रथम) एवं ए.एस.ए (दूसरे) के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसलिए "सोशल मीडिया", विशेष रूप से "फेसबुक" भारत में काफी तेजी से फैला है (कंपनी स्रोत के अनुसार 100 मिलियन प्रयोक्ताओं के साथ भारत ने यू.एस.ए के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। (इकोनॉमी टाइम्स में 9 अप्रैल, 2014 को की गई रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2015 तक 1 बिलियन का लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया है) प्रत्यक्ष कारणों से "फेसबुक" तेजी से बढ़ रहे "सोशल मीडिया" के रूप में सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बहुत ही प्रभावी संचार प्लेटफॉर्म की तरह उभरा है। "फेसबुक" की अत्यधिक संभव्यता को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के फेसबुक पृष्ठ और ई- न्यूज लेटर के लिए फोटोग्राफ/वीडियो के साथ विषय-वस्तु के नियमित अंशदान हेतू दिनांक 15 जुलाई, 2013 का समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न है) जारी किया गया था। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इनपुट अर्थात संभव्यता की पर्याप्त मात्रा राज्यों और जिलों से प्राप्त नहीं हो रही है। तथापि यह देश में वाश सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, आरएंडडी आयोजनों, नीति निर्णयों आदि के संबंध में सूचना के स्वीकार्य स्रोत के रूप में काफी तेजी से उभरा है।

उर्पयुक्त के संदर्भ में सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया तथा विशेष रूप से

फेसबुक की अत्यधिक संभव्यता को आने वाले समय में सूचना प्रसार और इसकी अत्यधिक उन्नति के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में इसका महत्व समझें। इसलिए सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों को उचित सक्रिय पहल के लिए नोट करें:

1. एक संचार कार्य नीति के रूप में आगे से सभी डब्ल्यूएसएसओ और डीडब्ल्यूएसएम के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित डब्यलूएसएसओ/डीडब्यलएसएम के नाम में फेसबुक पृष्ठ सृजित करें। राज्य स्तर पर डब्ल्यूएसएसओ में परामर्शदाता आईईसी/एचआरडी/एसएंडई तथा परामर्शदाता (आईसी/एचआरडी/एमएंडई), डीब्ल्यूएसएम में जिला समन्वयकर्ता अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी/ कार्यकर्ता को विषय-वस्तु तैयार करने और रख-रखाव के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएं एलबम के रूप में (प्रासंगिक फोटोग्राफ/वीडियो) (एमडीडब्ल्यूएस पैटर्न का अनुसरण किया जाए) संबंधित अधिकारी को क्षेत्र से सामग्री (फोटोग्राम, वीडियो) को एकत्र करने तथा अपलोड करने हेतू पूरी सहायता दी जाए।

2. ब्लॉक स्तर पर भी ब्लॉक के नाम में विशेष रूप से वाश के लिए फेसबुक (वाश) पृष्ठ सृजित किया जाए तथा एक ब्लॉक समन्वयकर्ता अथवा कलस्टर समन्वयकर्ता को विषय-वस्तु तैयार करने और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाए। संबंधित डीडब्ल्यूएसएम द्वारा जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन करके ब्लॉक समन्वयकर्ताओं (बीसी)/ कलस्टर समन्वयकर्ताओं (सीसी) को गाइड किया जाए।

3. राज्यों को उन जिलों और ब्लॉकों, जो फेसबुक के माध्यम से प्रभावी संचार कार्यान्वित कर रहे हैं, को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र अथवा कुछ प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए।

इसके अलावा डब्ल्यूएसएसओ और डीडब्ल्यूएसएम तथा बीआरसी/सीआरसी को मंत्रालय के फेसबुक पृष्ठ पर कार्यकलापों, आयोजनों, प्रशिक्षणों को संक्षिप्त 8-10 लाइन की स्टोरी तथा 4-10 फोटाग्राफ भेजकर हाई-लाइट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कृप्या यह नोट किया जाए कि किसी अधिकारी/कार्यकर्ता से प्राप्त और बाद में फेसबुक में शामिल विषय-वस्तु में उस अधिकारी/कार्यकर्ता का नाम, पदनाम तथा ई-मेल पता आना चाहिए।

उर्पयुक्त को ध्यान में रखते हुए राज्यों से अनुरोध है कि वे राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों/कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रालय के फेसबुक पृष्ठ की पहुँच के लिए कार्यवाही करें और अपने विचार रखें तथा पूरे देश तथा विश्व में वाश क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोगों को एमडीडब्ल्यूएस के सोशल नेटवर्क के एक भाग के रूप में शामिल होने का गर्व होना चाहिए। मंत्रालय के फेसबुक में अपलोड करने के लिए सभी सामग्रियों को डॉ. टी.के दास, एनआरसी परामर्शदाता dr_tkdas47@rediffmail.com. मोबाइल: 0112611268 पर भेजें।

अनुरोध है कि इस परिपत्र को इस उद्देश्य के साथ कि यह मंत्रालय वाश सेक्टर में संलग्न राज्य भर में अधिकारियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं का विस्तृत डाटा बेस सृजित कर सके, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के सभी स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अनुरोध है राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं (ब्लॉक समन्वयकर्ता, कलस्टर समन्वयकर्ता आदि) और जीपी (स्वच्छता दूतों आदि सहित) के नाम, पदनाम तैनाती का स्थान, ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या ssengupta@nic.in, तथा dr_tkdas47@rediffmail.com को भेजें।

कृपया इस मंत्रालय को (sandhya.singh@nic.in, dr_tkdas47@rediffmail.com, dr_tkdas47@gmail.com) पर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट दिनांक 6 अक्टूबर, 2014 तक भिजवा दें।

सादर,

भवदीया,

(संध्या सिंह)

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव प्रभारी जल एवं स्वच्छता, सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि:

इंजीनियर-इन-चीफ/ मुख्य अभियंता, प्रभारी जल एवं स्वच्छता/राज्य समन्वयकर्ता, स्वच्छता/निदेशक, डब्ल्यूएसएसओ/सीडीयू

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी/निदेशक (स्वच्छता)/निदेशक (जल)/सचिव के निजी सचिव/ओएसडी के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जल) के निजी सचिव।